बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित) (Sponsored by Bank of Baroda)

भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना S.O.2119(E) दिनांक 26.06.2020 (प्रति संलग्न)के माध्यम से एमएसएमई अधिनियम 2006 की धारा 7(1) में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के कुछ मानदण्डों में परिवर्तन किया गया है।

इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. RBI/2020-2021/10 (FIDD.MSME&NFS.BC.NO.3/06.02.31/2020-21) दिनांक 02.07.2020 एवं परिपत्र सं. RBI/2020-2021/26 (FIDD.MSME&NFS.BC.NO.4/06.02.31/2020-21) दिनांक 21.08.2020 (प्रति संलग्न) के माध्यम से प्राप्त दिशा निर्देश का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **उद्यमों का वर्गीकरण – किसी उद्यम** (Enterprise) **को** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में निम्नांकित मानदण्डों के आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा–
   - (i) **सूक्ष्म उद्यम (Micro enterprise)** –जहां संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड रूपये से अधिक नही है और आवर्तन (turnover) पांच करोड रूपये से अधिक नही है।
   - (ii) **लघु उद्यम (Small enterprise)** – जहां संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड रूपये से अधिक नही है और आवर्तन (turnover) पचास करोड रूपये से अधिक नही है।
   - (iii) **मध्यम उद्यम (Medium enterprise)** – जहां संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड रूपये से अधिक नही है और आवर्तन (turnover) दो सौ पचास करोड रूपये से अधिक नही है।

   सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु उक्त वर्गीकरण दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी है।

   - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण, एमएसएमई अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मन्त्रालय, भारत सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है।
   - राजपत्र अधिसूचना S.O.2119(E) दिनांक 26.06.2020 के पेरा सं. 2 के अनुसार सभी उद्यमों के लिये ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है अतः सभी ऋण प्रदाता बैंक उद्यमियों से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते है।

2. **वर्गीकरण के लिये निवेश (investment) और आवर्तन (turnover) के सम्बन्ध में समेकित मानदण्ड**
   - (i) किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिये निवेश (संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश) और आवर्तन का एक समेकित मानदण्ड लागू होगा।
   - (ii) यदि कोई उद्यम अपनी वर्तमान श्रेणी के लिये निर्धारित निवेश या आवर्तन के दोनो मानदण्ड में से किसी एक मानदण्ड में अधिकतम सीमा को पार करता है तो वह उद्यम उस श्रेणी से बाहर हो जायेगा तथा उसे अगली उच्चतर श्रेणी में रखा जायेगा किन्तु किसी भी उद्यम को तब तक निम्नतर श्रेणी में नही रखा जायेगा जब तक कि वह निवेश तथा आवर्तन के दोनो मानदण्डों में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिये निर्धारित सीमा के नीचे नही चला जाता है।
   - (iii) वस्तु और सेवाकर पहचान संख्या वाली सभी इकाईयां (all units with Goods and Service Tax Identification Number = GSTIN) जिन्हें समान स्थायी खाता संख्या (Same Permanent Account Number = PAN) के लिये सूचीबद्ध किया गया है, उनको सामूहिक रूप से एक उद्यम के रूप में माना जायेगा और ऐसी सभी इकाईयों के लिये निवेश और आवर्तन सम्बन्धी आंकडों पर सामूहिक रूप से ध्यान दिया जायेगा तथा सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में श्रेणी का विनिश्चय करने के लिये केवल कुल मूल्य पर विचार किया जायेगा।

3. **संयन्त्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश की गणना**

प्रधान कार्यालय : प्लाट नं. 2343, द्वितीय तल, वैशाली नगर, अजमेर – 305 004

Head Office : Plot No. 2343, Second Floor, Vaishali Nagar, Ajmer - 305 004

फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स/Fax:0145-2642603

ई–मेल/e-mail ho@barodarajasthanrrb.co.in

(i) संयन्त्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश की गणना को आयकर अधिनियम,1961 के तहत फाइल किये गये पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर रिटर्न से सम्बद्ध (link)किया जायेगा अर्थात पूर्ववर्ती वर्षों की आयकर विवरणी में दर्शाया गया संयन्त्र और मशीनरी या उपकरणों का मूल्य हिसाब में लिया जायेगा।

(ii) नये उद्यम की दशा में जहां कोई पूर्व आयकर रिटर्न उपलब्ध नही है, वहां उद्यम के प्रवर्तक (Promoter) के स्व–घोषणापत्र के आधार पर निवेश का निर्धारण किया जायेगा तथा ऐसी छूट उस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पश्चात समाप्त हो जायेगी जिसमें वह उद्यम अपना पहला आयकर रिटर्न फाइल करता है।

(iii) उद्यम के संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विरचित(framed) आयकर नियम, 1962 में संयन्त्र और मशीनरी हेतु दिया गया है। इसमें सभी मूर्त आस्तियाँ (भूमि और भवन, फर्नीचर और फिटिंग के अलावा)शामिल होंगी।

(iv) यदि उद्यम नया है जिसकी कोई आयकर विवरणी उपलब्ध नही है तो संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश की गणना हेतु का संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण क्रय मूल्य (invoice price excluding Goods and Service Tax) ही स्व–प्रकटीकरण के आधार पर हिसाब में लिया जायेगा, चाहे संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण पहली बार (New) खरीदे गये हों अथवा पुराने (second hand) क्रय किये गये हों।

(v) एमएसएमई अधिनियम 2006 की धारा 7(1) के स्पष्टीकरण । में निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं की लागत को संयन्त्र और मशीनरी में निवेश कर राशि की गणना में शामिल नही किया जायेगा जिनका विवरण निम्नानुसार है–

a) equipment such as tools, jigs, dyes, moulds and spare parts for maintenance and the cost of consumables stores;
b) installation of plant and machinery;
c) research and development equipment and pollution controlled equipment
d) power generation set and extra transformer installed by the enterprise as per regulations of the State Electricity Board;
e) bank charges and service charges paid to the National Small Industries Corporation or the State Small Industries Corporation;
f) procurement or installation of cables, wiring, bus bars, electrical control panels (not mounted on individual machines), oil circuit breakers or miniature circuit breakers which are necessarily to be used for providing electrical power to the plant and machinery or for safety measures;
g) gas producer plants;
h) transportation charges (excluding sales-tax or value added tax and excise duty) for indigenous machinery from the place of their manufacture to the site of the enterprise;
i) charges paid for technical know-how for erection of plant and machinery;
j) such storage tanks which store raw material and finished products and are not linked with the manufacturing process; and
k) fire fighting equipment.

While calculating the investment in plant and machinery, the original price thereof, irrespective of whether the plant and machinery are new or second hand, shall be taken into account provided that in the case of imported machinery, the following shall be included in calculating the value, namely;

- Import duty (excluding miscellaneous expenses such as transportation from the port to the site of the factory, demurrage paid at the port);
- Shipping charges;
- Customs clearance charges; and
- Sales tax or value added tax.

(vi) ऑनलाइन पोर्टल का उद्यम रजिस्ट्रीकरण फार्म, उद्यम के संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण के मूल्य के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन तिथि से पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति की ह्रासित लागत (depreciated cost) को ग्रहण करता है, इसलिये राजपत्र अधिसूचना S.O.2119(E) दिनांक 26.06.2020 तथा सभी उद्यमों के संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण के मूल्य से आशय, अधिग्रहण की लागत अथवा मूल लागत (जैसा कि पूर्ववर्ती वर्गीकरण मानदण्डों के सन्दर्भ में लागू था) से नही होकर आयकर अधिनियम में परिभाषित उस वित्तीय वर्ष के अन्त में दर्शित ह्रासित मूल्य से है।

4. आवर्तन (turnover) की गणना

(i) किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित उद्यम के आवर्तन (turnover) की गणना करते समय माल और/या सेवाओं के निर्यात को आवर्तन में शामिल नही किया जायेगा।

(ii) उद्यम के लिये आवर्तन (turnover) और निर्यात आवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु आयकर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम (Central Goods and Services Act) वस्तु और सेवाकर पहचान संख्या (Goods and Service Tax Identification Number = GSTIN) का उपयोग किया जायेगा।

(iii) ऐसे उद्यम जिनके पास स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number = PAN) नही है, उनके आवर्तन (turnover) से सम्बन्धित आंकडे दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये स्व–घोषणा के आधार पर मान्य किये जायेंगे और उसके पश्चात पेन (Permanent Account Number = PAN)और वस्तु और सेवाकर पहचान संख्या (Goods and Service Tax Identification Number = GSTIN) अनिवार्य होगा।

5. उद्यम रजिस्ट्रीकरण

(i) 30 जून 2020 तक रजिस्ट्रीकृत सभी उद्यमों को इस अधिसूचना के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया जायेगा।

(ii) 30 जून 2020 तक प्राप्त वर्तमान उद्यमी ज्ञापन भाग II (Entrepreneurs Memorandum Part II) तथा उद्योग आधार ज्ञापन (Udyog Aadhaar Memorandum = UAMs) केवल 31 मार्च 2021 तक विधिमान्य हैं साथ ही 30 जून 2020 तक रजिस्ट्रीकृत सभी उद्यमों को 31 मार्च 2021 से पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर नये उद्यम रजिस्ट्रीकरण हेतु फाइल करना होगा।

(iii) जीएसटीआर और/अथवा आयकर विवरणियां फाइल करने से मुक्त उद्यमों को स्वघोषणा के आधार पर जारी उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि हेतु वैध रहेंगें।

(iv) दिनांक 01.07.2020 एवं इसके बाद किये गये नये उद्यम वर्गीकरण के बाद संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश (investment)और/या आवर्तन (turnover)में बढोतरी के परिणामस्वरूप पुनः वर्गीकरण की स्थिति में उद्यम रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के समाप्त होने से लेकर एक वर्ष की समाप्ति तक उद्यम अपने वर्तमान वर्गीकरण को बरकरार रखेगा अर्थात उसके वर्तमान वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(v) उद्यम वर्गीकरण के बाद किसी उद्यम के क्रमिक ह्रास की स्थिति में, चाहे वह पुनःवर्गीकरण के परिणामस्वरूप हुआ हो या संयन्त्र और मशीनरी या उपकरण में किये गये निवेश में अथवा आवर्तन में वास्तविक परिवर्तन अथवा दोनो के कारण हुआ हो तथा चाहे उद्यम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नही, उद्यम वित्तीय वर्ष की तक अपनी वर्तमान श्रेणी में बना रहेगा तथा उसे ऐसे परिवर्तन वाले वर्ष के पश्चात के वित्तीय वर्ष के 1 अप्रेल से परिवर्तित स्तर का लाभ प्रदान किया जायेगा।